बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

पुनर्निविदा-सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में कार्यालय व्यवहार हेतु वर्ष 2013-14 अन्तर्गत न्यूनतम दर (L1) पर उत्कृष्ट कोटि एवं मानक मात्रा के लेखन एवं अन्य सामग्रियों की क्रय दर निर्धारण हेतु दिनांक-13.08.2013 के अपराह्न 3:00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे प्राप्त सभी निविदाओं को उनके निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सामने खोली जायेगी। निविदा की शर्त्तों एवं लेखन तथा अन्य सामग्रियों की सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाइट http://rdd.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

निविदा की शर्त्तें :-

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए। जो निविदादाता तकनीकी बीड पूरा करेंगे, उनका ही वित्तीय बीड खोला जाएगा।
2. अग्रधन के रूप में अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से रू0 5,000/- (पाँच हजार रूपये) की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। (नोट:- किसी भी स्थिति में बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किया जायेगा)
3. सभी निविदा में फर्म/एजेंसी का नाम एवं निविदादाता का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
4. पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अद्यतन वाणिज्य-कर प्रमाण- पत्र/वैट निबंधन प्रमाण-पत्र तथा 2011-12 का बिक्री कर/वैट अदायगी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
6. निविदादाता को अपने प्रतिष्ठान के पैड पर यह लिखित देना होगा कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में वे "काली सूची" में दर्ज नहीं है तथा दी गई सूचनाएँ सही हैं।
7. वैसे प्रतिष्ठान निविदा में भाग लेंगे जिनका किसी निश्चित स्थान पर प्रतिष्ठान हो।
8. निविदा खोलने के समय निविदा में वर्णित सामग्रियों का नमूना दिखाना होगा।
9. आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्रियों का नाम एवं मानक के अनुसार मात्रा तथा दर अंकों में तथा शब्दों में लिखा होना चाहिए।
10. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अलग से कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
11. सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित कार्यालय में ली जायेगी तथा परिवहन हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।
12. सफल निविदादाता को दर एवं आपूर्ति के संबंध में एकरारनामा करना होगा जो दिनांक- 31.03.2014 तक के लिए मान्य होगा। आपसी सहमति से इसे आगे के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। निर्धारित दर पर कोई भी निविदादाता सामग्रियों की आपूर्ति कर सकता है।
13. विभिन्न विभागों/निकायों में आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण-पत्र यदि हो, तो दे सकते है।
14. असफल निविदादाताओं द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापस कर दिया जायेगा।
15. किसी भी समय निविदा की प्रक्रिया को अमान्य करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट : www.prdbihar.in पर देखा जा सकता है।

अवर सचिव
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

सू.ज.स.वि.- 4559 (ग्रा.वि.) 13-14, बिहार

याद रखें- बिना प्राप्ति रसीद के लिया-दिया गया धन घूस है